सवाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2025/557

दिनांक 28/04/25

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. महेन्द्रसिंह पुत्र ठाकराराम जाति जाट निवासी गुमानपुरा, बावड़ी कला, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर	1. सायरा पुत्र कादु जाति मेघवाल निवासी गुमानपुरा बावड़ी कला, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर 2. तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत्।

राजस्व आवेदन 41/2024

दिनांक 28.04.2025

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बावड़ी कला मौजा गुमानपुरा के खेत खसरा स. 1216/712 रकबा 1.9830 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मन तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यक होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिश्नर को कमिशनर फीस रूपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2025/558 to 61

दिनांक 28/4/25

प्रतिलिपिः-

1. तहसीलदार, चौहटन
2. प्रार्थी महेन्द्रसिंह पुत्र ठाकराराम।
3. विप्रार्थी सायरा पुत्र कादु व अन्य।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़....

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.05.07 17:55:34 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन